

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क) (1)/(एन-170)/अलेसे-1/ 1088

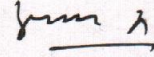
दिनांक:- 31/07/2020

आदेश संख्या: /2020-21

श्री नन्द लाल व्यास (लिंग नं. 1867), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। को सहायक पुलिस आयुक्त, मण्डोर, जोधपुर (पूर्व), जोधपुर में स्पेशल रिपोर्ट/दुराचरण रिपोर्ट संख्या 012 दिनांक 21.02.2018 (प्रकरण संख्या 156/2017) धारा 504 भा.द.सं. व 3(1)(आर) (एस) एससी/एसटी एक्ट में दर्ज होने के कारण न्यायिक अभिरक्षा में 48 घण्टे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत में रखे जाने के कारण विभागीय आदेश क्रमांक 1377 दिनांक 07.03.2018 के द्वारा दिनांक 17.02.2018 से निलम्बित किया गया था।

श्री नन्द लाल व्यास (निलम्बित), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। के संबंध में पुलिस सीआईडी (सीबी), राजस्थान, जयपुर के तथ्यात्मक प्रतिवेदन क्रमांक 383 दिनांक 29.06.2018 के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में अनुसंधान में मामला एफ.आर. अदम वकू झूठ पाये जाने के फलस्वरूप श्री नन्द लाल व्यास, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-। को निलम्बन से बहाल किया जाकर इनका पदस्थापन कोषाधिकारी (ग्रामीण), जोधपुर में किया जाता है।

श्री नन्द लाल व्यास की निलम्बन अवधि को समस्त पेंशन योग्य परिलाभों के लिए गणना योग्य तथा समस्त वित्तीय परिलाभों के लिए कर्तव्य (Duty) माना जायेगा।

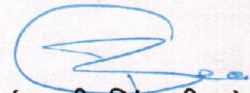

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क) (1)/(एन-170)/अलेसे-1/ 1088

दिनांक:- 31/07/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज. जयपुर।
2. कोषाधिकारी (ग्रामीण), जोधपुर।
3. कोषाधिकारी, पाली।
4. संयुक्त निदेशक (जांच), कार्यालय हाजा।
5. उप निदेशक (एससीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. श्री नन्द लाल व्यास, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।, मुख्यालय कोषाधिकारी, पाली।
7. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
8. सहायक निदेशक (डीपीसी), कार्यालय हाजा।


(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)